# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
## जिला चित्तौडगढ
### पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/72/2021 दायर दिनांक 01.10.2021

उनवान

1. भुपेन्द्रसिंह पिता रतनसिंह जाति राजपुत आयु नाबालिग निवासी दोलजी का खेड़ा बविलायत दादीजी पारस कुवर बेवा पृथ्वीसिह राजपुत आयु वयस्क निवासी दोलजी का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ व विष्णु कंवर पुत्री पृथ्वीसिह राजपुत निवासी दोलजी का खेडा हाल मुकाम सणावदा जिला नीमच।

— वादीगण

बनाम

1. रतनसिंह पिता पृथ्वीसिह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी दोलजी का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. कैलाश कंवर पत्नी बलवन्तसिह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी दोलजी का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
3. कालुसिह पिता भंवरसिह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी दोलजी का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
4. नाबालिग चेनसिह पुत्र बलवन्तसिह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी दोलजी का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
5. जयसिह पुत्र भवरसिह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी दोलजी का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
6. जोरावरसिह पुत्र गोकलसिह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी दोलजी का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
7. नाबालिग पर्वतसिह पुत्र बलवन्तसिह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी दोलजी का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
8. फुलाकवर पुत्री भैरूसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी दोलजी का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
9. रेशम कुवर पुत्री भैरूसिह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी दोलजी का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
10. राजकुवर पत्नी गोरधनसिह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी दोलजी का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
11. लाडकुवर पत्नी भैरूसिह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी दोलजी का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
12. हरसिह पुत्र गोरधनसिह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी दोलजी का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
13. उपपंजीयक कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
14. भूमिधारी तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

——प्रतिवादीगण

**—: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट :—**

**निर्णय दिनांक: 07.11.2024**

## —:निर्णय:—

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—89, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि वादी के अधिकार कब्जे एवं आधिपत्य की पैतृक जायदाद गौजा दोलजी का खेडा पटवार हल्का जीतिया तहसील कपासन जिला चितौडगढ के हल्के बैरूनी मे स्थित है जिसके नया खाता संख्या 8 के हाल आराजी न० 170 रकबा 0.07 हैक्टर, आराजी न0 171 रकवा 0.09 हैक्टर, आराजी न० 214 रकबा 0.28 हैक्टर, आराजी न०

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन, जिला-चित्तौडगढ

218 रकबा 0.32 हैक्टर, आराजी न0 219 रकवा 0.30 हैक्टर, आराजी न0 220 रकवा 0.25 हैक्टर, आराजी न० 221 रकबा 0.24 हैक्टर, आ०स० 222 रकवा 0.25 है० आ०स० 223 रकवा 0.12 है०, आराजी स० 224 रकबा 0.08 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 2.00 है० तथा खाता स० 40 के हाल आ०स० 49 रकबा 0.36 है0 उक्त आराजीयात वादी के पिता प्रतिवादी स0 1 के नाम हाल राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है।

यह कि वादगत आराजीयात वादी की पैतृक जायदाद होकर के वादी के पिता प्रतिवादी स० 1 के नाम दर्ज रेकार्ड है जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी स० 1 जो कि अत्यधिक शराब का आदि होने से हमेशा बेखुद होकर शराब के नशे मे अशांति का माहोल बना देते है तथा पुरे दिन शराब के नशे मे ही रहते है मुझ वादी का बचपन लगभग आठ वर्ष से मेरी भुवा के यहा गुजारा है तथा उन्होने ही लालन पालन किया है अब मै मेरे गाव दोल जी का खेडा मे दादी जी के पास ही रह रहा हूं तथा उनकी पेशन की राशि से ही वह मेरा व उनका भरण पोषण कर रहे है जबकि पिता जी कोई कार्य नही करते है और अब जब भी रूपयो की आवश्यकता पडती है तो उक्त विवादित मोरूसी आराजीयात को विक्रय रहन, वसीयत करने पर आमादा रहते है तथा नाराण कंवर, विष्णुकवर व हेमाकवर के खातेदार आराजी को हकत्याग प्रतिवादी स० 1 के पक्ष मे करा कर राजस्व रेकार्ड मे अपने नाम अंकित करा ली है। जिसमे वादी का पैदायसी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हक एव हिस्सा निहित है। लेकिन वादी के पिता प्रतिवादी स० 1 के शराब का आदी हो जाने से शराब के नशे मे मानसिक स्थित भी ठीक नही रहने के कारण सही सुध बुध नही रहती है भावुक होकर अन्य दीगर व्यक्तियो के बहकावे मे आ जाते है घर मे से रूपये पेसे भी अन्य व्यक्तियो दे देते है चुपके से घर से निकल जाते है। जिसका नाजायज फायदा उठाते हुये प्रतिवादी स01 को अन्य दीगर व्यक्ति बहला फुसला करके उपपंजीयन कार्यालय कपासन मे ले जाकर के प्रतिवादी स01 के हिस्से कब्जे की समस्त आराजीयात का विक्रय पत्र, दान, रहन, वसीयत, या अन्य कोई भी दस्तावेज अन्य दीगर व्यक्तियो द्वारा अपने पक्ष मे पंजीयन करवा दिया गया तो वादी मोरूसी कब्जे अधिकारी एवं आधिपत्य की कीमती जायदाद से वंचित हो जायेगा इसलिए पक्षवादी विरूद्व प्रतिवादीगण खातेदारी अधिकारी की घोषणात्मक डिक्री जारी फरमाते हुये प्रतिवादी स० 1 के द्वारा दौराने वाद किसी अन्य दीगर व्यक्तियो के पक्ष मे विक्रय पत्र, दान, वसीयत, रहन व अन्य दस्तावेज को निष्पादित कराते है तो आदेशात्मक आज्ञा द्वारा नल एण्ड वॉईड (शुन्य एवं निष्प्रभावी घोषित) किये जाने की घोषणात्मक डिकी पक्षवादी विरूद्व प्रतिवादीगण जारी फरमाई जावे। क्योकि वादगत आराजीयात मे वादी का पैदाईसी हक व हिस्सा निहित है।

यह कि वादगत आराजीयात मे वादी का पैदायसी हक एवं हिस्सा निहित है तथा वादगत आराजीयात संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति है लेकिन प्रतिवादी स० 1 के शराबी हो जाने से मानसिक स्थित भी ठीक नही रहने के कारण सही सुध बुध नही रहती है भावुक होकर अन्य दीगर व्यक्तियो के बहकावे मे आ जाते है घर मे से रूपये पेसे भी अन्य व्यक्तियो दे देते है चुपके से घर से निकल जाते है। जिसका नाजायज फायदा उठाते हुये प्रतिवादी स01 को अन्य दीगर व्यक्ति बहला फुसला करके उपपंजीयन कार्यालय कपासन मे ले जाकर के प्रतिवादी स01 के हिस्से कब्जे की समस्त आराजीयात का विक्रय पत्र, दान, रहन, वसीयत, या अन्य कोई भी दस्तावेज अन्य दीगर व्यक्तियो द्वारा अपने पक्ष मे पंजीयन करवा सकते है इसलिए प्रतिवादी स० 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि उक्त मोरूसी खातेदारी आराजीयात को किसी प्रकार के दस्तावेज के जरिये अन्य दीगर व्यक्तियो के पक्ष मे पंजीयन नही करावे एवं प्रतिवादी स0 14 राजस्व रेकार्ड मे कोई परिवर्तन नही करे एवं प्रतिवादी स0 13 वादगत आराजीयात से संबंधित किसी प्रकार के दस्तावेज का पंजीयन नही करे ऐसा कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वंय करे और न ही किसी अन्य व्यक्ति नोकर एजेन्ट, परिवारजन तथा अपने अधिनस्थ कर्मचारी से भी नही करावे।

यह कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पक्षवादी विरूद्व प्रतिवादीगण जारी फरमाई जावे। यदि स्थाई निषेधाज्ञा की पक्षवादी विरूद्व प्रतिवादीगण जारी नही फरमाई गई और वादगत आराजीयात को प्रतिवादीगण द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को बह विक्रय, बक्षीस, वसीयत, दान कर दिया जाता है तो वादी को अपार नुकसान होगा तथा कीमती जायदाद से वंचित होना पडेगा इस कारण से स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पक्षवादी विरूद्व प्रतिवादीगण जारी फरमाई जाना आवश्यक है।



सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

यह कि वादी को प्रतिवादी स० 1 द्वारा दिनांक 26.09.2021 को मौरूसी आराजीयात को विक्रय, दान, बक्षीस, रहन, वसीयत करने की धमकी दी इसलिए वाद हेतुक दिनाक 26.09.2021 को पैदा होकर निरन्तर जारी है।

अन्त में निवेदन किया कि पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण खातेदारी अधिकार की घोषणात्मक डिकी जारी फरमाई जाकर के वादी को अपने हिस्से अनुसार हक हिस्से का खातेदार घोषित फरमाया जावे। एवं दौराने वाद अगर प्रतिवादी स० 1 द्वारा उक्त मोरूसी आराजीयात को अन्य दीगर व्यक्तियो के नाम बह बक्षीस, वसीयत, दान, रहन आदि कर दिया जाता है तो उसे शुन्य एवं निष्प्रभावी किये जाने की आदेशात्मक घोषणा डिकी पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमाई जावे।

यह कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी पक्षवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमाई जाकर के प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादी स० 1 द्वारा किसी अन्य दीगर व्यक्ति के पक्ष मे बह बक्षीस, विक्रय दान, वसीयत रहन आदि नही करे एवं प्रतिवादी स० 14 राजस्व रेकार्ड मे कोई परिवर्तन नही करे तथा प्रतिवादी स० 13 वादगत आराजीयात से संबधित किसी भी प्रकार के दस्तावेज का पंजीयन किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष मे नही करे ऐसा कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वंय करे और न ही किसी अन्य व्यक्ति, नोकर, एजेन्ट, परिवारजन एवं अपने अधिनस्थ कर्मचारी से भी नही करावे। अन्य मुफिद दाद जो न्यायालय उचित समझे वादी को प्रतिवादीगण से दिलाई जावे।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। वकील वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से लगायत 12 के विरूद्ध कार्यवाही नही चाहने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से कार्यवाही ड्रॉप की गई। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से आज दिनांक 07.11.2024 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। वकील वादी द्वारा वादपत्र की प्रार्थना कॉलम संख्या 13 के घोषणा की दाद नही चाहने से घोषणा की दाद ड्रॉप की जाती है।

वकील वादी द्वारा बहस एकतरफा प्रस्तुत की। प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया। हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेज का अवलोकन किया। व की गई बहस पर मनन किया।

अतः प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा दोलजी का खेडा पटवार हल्का जीतिया तहसील कपासन जिला चितौडगढ के हल्के बैरूनी मे स्थित है जिसके नया खाता संख्या 8 के हाल आराजी न० 170 रकबा 0.07 हैक्टर, आराजी न0 171 रकवा 0.09 हैक्टर, आराजी न० 214 रकबा 0.28 हैक्टर, आराजी न० 218 रकबा 0.32 हैक्टर, आराजी न0 219 रकबा 0.30 हैक्टर, आराजी न0 220 रकवा 0.25 हैक्टर, आराजी न० 221 रकबा 0.24 हैक्टर, आ०स० 222 रकवा 0.25 है० आ०स० 223 रकबा 0.12 है०, आराजी स० 224 रकबा 0.08 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 2.00 है० तथा खाता स० 40 के हाल आ०स० 49 रकबा 0.36 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हक हिस्से तक स्थाई निषेधाज्ञा से इस आशय से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1, 13, 14 राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन
कपासन जिला-चित्तौडगढ